सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./सा.सहा./2021/ 206 भोपाल, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश।

विषय :- मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग एवं बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना के हितग्राहियों को पात्रतानुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दिव्यांग पेंशन एवं दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन की पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है एवं प्रतिमाह स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के आधार पर पेंशन का ई-पेमेंट राज्य स्तर से सीधे पेंशन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है।

2. राज्य शासन द्वारा मानसिक रूप से अविकसिक दिव्यांग, बहुविकलांग, ऑटिज्म एवं सेरेब्रल पाल्सी के दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उददेश्य से **बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित के लिये सहायता अनुदान योजना** का क्रियान्वयन किया जाता है। उक्त योजना में लाभांवित हितग्राही पात्रतानुसार अन्य दिव्यांग पेंशन जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दिव्यांग पेंशन एवं दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उक्त विशिष्ट श्रेणी के दिव्यांगजनों को शासन से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

अत: ऐसे हितग्राही है जो बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित के लिये सहायता अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर रहें है की पात्रता एवं नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कर पात्रतानुसार अन्य दिव्यांग पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राथमिकता से करने हेतु समस्त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि शासन की मंशा के अनुसार हितग्राहियों को उनकी पात्रता के आधार पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

15/2/2021

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./2021/ 206-A भोपाल, दिनांक 15/02/2021

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।
4. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. कृपया पेंशन पोर्टल पर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृति हेतु पात्र हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के यूजर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।
4. समस्त संयुक्त व उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।
5. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/2/2021

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.